

संख्या -67/2020(2020/00085)

निवासी :-

सुनील कुमार पुत्र प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झंसेल तहसील भादरा।



वादी

बनाम

1. प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी झंसेल तहसील भादरा।
2. अनिल कुमार पुत्र प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झंसेल तहसील भादरा।
3. शकुन्तला पुत्री प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झंसेल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री श्रवण सहारण । वादी

श्री श्रवण सहारण ॥ प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 03/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 4 सीएचएन के वर्तमान खाता संख्या 60/63 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मु0 न0 41 के किला न0 3 ता 8, 14 ता 17 इस प्रकार कुल किता 22 की कुल 5.566 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/2 हिस्सा, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 75/73 के मु0 न0 63 के किला न0 10, 11, 20, मु0 न0 64 के किला न0 6, 13 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 11 की कुल 2.783 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 50 हिस्सा, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 40/35 के मु0 न0 63 के किला न0 21 कुल किता 1 की कुल 0.253 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/4 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 85/82 के मु0 न0 6 के किला न0 4 ता 7, 13, 14 कुल किता 8 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 2.024 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 166/160

के डु० न० 6 के किला न० 15, 16, डु० न० 7 किला न० 1, 10, 11, 15 ता 20, डु० न० 8 के किला न० 11 इस प्रकार कुल किला 12 की कुल 2.998 हैक्टेडर डें प्रतिवादी संखुडा 1 ड्रेसिंह उर्फ प्रेडकुडार के नाड 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड डें दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियड एवं हिन्दु पद्धति से आसित होते है। वाद डूमि पहले वादी के दादा सुरजाराड की खालेदारी हुआ करती थी। सुरजाराड से विरास्तन वादडूमि जो प्रतिवादी ड्रेसिंह उर्फ प्रेडकुडार ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाड से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद डूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि डूमि है जिसडें वादी का जन्ड से हक व अधिकार निहित है। वादडूमि तन्हा प्रतिवादी ड्रेसिंह उर्फ प्रेडकुडार के नाड दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

उक्त वाद डूमि हिन्दु खानदान की जददी जाडदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संखुडा 1 ड्रेसिंह उर्फ प्रेडकुडार को वादी के दादा सुरजाराड से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जडडबन्दी चक 1 जेएसएल सडवत 2029-38 के खाला संखुडा 18, जडडबन्दी खतौनी सडवत 1 जेएसएल सडवत 2029-38 खाला संखुडा 45, जडडबन्दी खतौनी सडवत 2 जेएसएल सडवत 2029-38 खाला संखुडा 17, जडडबन्दी खतौनी चक 2 जेएसएल के सडवत 2029-38 के खाला संखुडा 54, जडडबन्दी खतौनी चक 4 सीएचएन सडवत 2029-38 के खाला संखुडा 38 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद डूमि डें वादी का जन्ड से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सडडन तलब किया गया। सडडन तालड होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहडति से राजीनाड पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद डूमि बाबत सभी पक्षकारानों डें पारिवारिक सडझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संखुडा 3 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की डूमि वादी एवं प्रतिवादी संखुडा 1 ता 2 के हक डें हिस्सा वरावर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी डें वादी सुनील कुंमार पुत्र ड्रेसिंह उर्फ प्रेडकुडार जाति जाट निवासी झॉसल तहसील डडदरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी डें सदस्यता प्रमाण पत्र गुराड पंचायत झॉसल द्वारा जारी प्रदर्श 1, जडडबन्दी चक 4 सीएचएन सडवत 2074-77 के खाला संखुडा 60/63 प्रदर्श 2, जडडबन्दी चक 1 जेएसएल सडवत 2071-74 खाला संखुडा 75/73 प्रदर्श 3, जडडबन्दी चक 1 जेएसएल सडवत 2071-74 खाला संखुडा 40/35 प्रदर्श 4, जडडबन्दी चक 2 जेएसएल सडवत 2072-75 खाला संखुडा 85/82 प्रदर्श 5, जडडबन्दी चक 2 जेएसएल सडवत 2072-75 खाला संखुडा 166/160 प्रदर्श 6, जडडबन्दी खतौनी चक 1 जेएसएल सडवत 2029-38 खाला संखुडा 18 प्रदर्श 7, जडडबन्दी खतौनी चक 1 जेएसएल सडवत 2029-38 खाला संखुडा 45 प्रदर्श 8, जडडबन्दी खतौनी चक 2 जेएसएल सडवत

2029-38 खाता संख्या 17 प्रदर्श 9, जमाबन्दी खतौनी चक 2 जेएसएल सम्वत 2029-38 प्रदर्श 10, जमाबन्दी खतौनी चक 4 सीएचएन सम्वत 2029-38 खाता संख्या 39 प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा 4 सीएचएन के वर्तमान खाता संख्या 60/63 के मुरब्बा न० 40 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मु० न० 41 के किला न० 3 ता 8, 14 ता 17 इस प्रकार कुल किता 22 की कुल 5.566 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/2 हिस्सा, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 75/73 के मु० न० 63 के किला न० 10, 11, 20, मु० न० 64 के किला न० 6, 13 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 11 की कुल 2.783 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 50 हिस्सा, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 40/35 के मु० न० 63 के किला न० 21 कुल किता 1 की कुल 0.253 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/4 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 85/82 के मु० न० 6 के किला न० 4 ता 7, 13, 14, 17, 18 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 2.024 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 166/160 के मु० न० 6 के किला न० 15, 16, मु० न० 7 किला न० 1, 10, 11, 15 ता 20, मु० न० 8 के किला न० 11 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 2.998 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 सीएचएन के वर्तमान खाता संख्या 60/63 के मुरब्बा न० 40 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मु० न० 41 के किला न० 3 ता 8, 14 ता 17 इस प्रकार कुल किता 22 की कुल 5.566 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/2 हिस्सा, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 75/73 के मु० न० 63 के किला न० 10, 11, 20, मु० न० 64 के किला न० 6, 13 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 11 की कुल 2.783 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 50 हिस्सा, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 40/35 के मु० न० 63 के किला न० 21 कुल किता 1 की कुल 0.253 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/4 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 85/82 के मु० न० 6 के नाम 1/4 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 85/82 के मु० न० 6 के

प्र० सं० 67/20 अनुवान सुनील कुमार बनाम प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार आदि धारा 88 आरटीएक्ट

किला न० 4 ता 7, 13, 14, 17, 18 इस प्रकार कुल कित्ता 8 की कुल 2.024 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 166/160 के मु० न० 6 के किला न० 15, 16, मु० न० 7 किला न० 1, 10, 11, 15 ता 20, मु० न० 8 के किला न० 11 इस प्रकार कुल कित्ता 12 की कुल 2.998 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमकुमार, प्रतिवादी संख्या 2 अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय

में सुनाया गया।



  
(जयसिंह)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S  
उपखण्ड (असिम्पुलम) (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़